Vidhiwaav

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–300/2026

(झाझा थाना कांड संख्या–607/24 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय जमुई

सुधीर यादव उर्फ सुधीर कुमार अन्य बनाम बिहार सरकार

आदेश

16.03.2026 1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त **सुधीर यादव उर्फ सुधीर कुमार** पिता–डोमन यादव, उम्र 31 वर्ष साकिन बैजला, थाना– झाझा, जिला–जमुई की ओर से झाझा थाना कांड संख्या–607/24 अन्तर्गत धारा 137(1), 140(1) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत अग्रिम जमानत हेतु दाखिल किया गया है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार यादव तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को अग्रिम जमानत के बिन्दु पर सुना गया।

2. आवेदिका अभियुक्त **सुधीर यादव उर्फ सुधीर कुमार** पिता–डोमन यादव, उम्र 31 वर्ष साकिन बैजला, थाना– झाझा, जिला–जमुई के विद्वान अधिवक्ता एक आवेदन दाखिल कर निवेदन करते हैं कि अग्रिम जमातन आवेदन संख्या 300/2025 (झाझा थाना कांड संख्या–607/24 से उत्पन्न) के आवेदक अभियुक्त सुधीर यादव उर्फ सुधीर कुमार यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है इसलिए अग्रिम जमानत आवेदन वापस लेना चाहते हैं।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक को जमानत आवेदन के वापसी पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. दोनों पक्षों को सुना गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि इस जमानत आवेदन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता दिनांक 16.03.2026 को एक आवेदन दाखिल कर निवेदन करते हैं कि सुधीर यादव उर्फ सुधीर कुमार पिता–डोमन यादव, उम्र 31 वर्ष साकिन बैजला, थाना– झाझा, जिला–जमुई को दिनांक 16.03.2026 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है इसलिए अग्रिम जमानत आवेदन वापस लेना चाहते हैं। अभियुक्त के गिरफ्तार होने के कारण आवेदक अभियुक्त **सुधीर यादव उर्फ सुधीर कुमार** के विरूद्ध अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है।

अतः आवेदक अभियुक्त **सुधीर यादव उर्फ सुधीर कुमार** के इस वाद में वाद के इस प्रक्रम पर गिरफ्तार हो जाने के कारण प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण वापसी के आधार पर खारिज किया जाता है।

लेखापित

ह0/–

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

मेमो संख्या..................... दिनांक..................

प्रति अग्रसारित–न्यायालय– विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई